फर्द अहकाम

फैलीराम बनाम जगदीश

ायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र 178 / 2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.11.2023	यह प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी श्री विनोद कुमार शर्मा ने मय शपथ पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर अंतरिम पर सुना गया। न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत दस्तावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन करने एवं प्रार्थी द्वारा की गई बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया गया तो हम पाते है कि प्रार्थी को एकपक्षीय स्थगन दिया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से करवायी जाकर पत्रावली, दिनांक 28.12.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	(हस्ताक्षर)
28/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाव द्वारा कन्डोलेन्स/ कार्य [illegible] [illegible] करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 16/1/24 को पेश हो।	Mukesh
16/01/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० पत्रावली वास्ते देखने तामील शेष अप्रार्थी हेतु दिनांक 08/02/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	[illegible]
08/02/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सं. 2, 4 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी सं. (1) आज अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 3, 5 लगा 7 के विरुद्ध मूल वादपत्र मे एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जा चुकी है। अप्रार्थी सं. 1,2,4 को जवाब T-I प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नही किया। अतः अप्रार्थी सं. 1,2,4 का जवाब बंद किया जाता है। प्रार्थी अधिवक्ता एवं	[illegible] (हस्ताक्षर)

फर्द अहकाम

फौलीराम बनाम जगदीश

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 178/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		अप्रार्थी सं. 2, 4 ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस की। उभयपक्षों की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त विवादित आराजी खसरा नं. 288/1 रकबा 4.1223 हैक्ट. स्थित ग्राम चैनपुरा प.ह. मोहनपुरा भू.अ.नि. दूधली तह. बस्सी जि. जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष ताफैसला वाद के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।
		सहायक कलक्टर बस्सी जिला–जयपुर